

प्रेषक,

राम गणेश,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश कानपुर।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनु-३

लखनऊ दिनांक ३० नवम्बर, 2009

विषय:- निजी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु समय सारणी निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2697/सोलह-प्रा०शि०-३-2003-46(8)/2002 दिनांक 20-12-2003 शासनादेश संख्या-3063/सोलह-प्रा०शि०-३-2003-46(8)/2002 दिनांक 20-12-2003 तथा शासनादेश संख्या-1487/सोलह-प्रा०शि०-३-2008-46(8)/2002 दिनांक 31-7-2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने इस विषय में पूर्व में समस्त शासनादेशों को अवकमित/आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निजी क्षेत्र में पालीटेक्निकों की स्थापना हेतु निम्नवत समय सारणी के निर्धारण का निर्णय लिया गया है :-

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1- | संस्थाओं की स्थापना हेतु निदेशालय में आवेदन पत्र/प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि   | 31 दिसम्बर           |
| 2- | निदेशालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों/अभिलेखों के स्कूटनी की अन्तिम तिथि               | 31 जनवरी             |
| 3- | अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन समिति की बैठक/एन०ओ०सी० जारी होने की अन्तिम तिथि        | 28 फरवरी             |
| 4- | निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की अन्तिम तिथि राज्य स्तरीय समिति की बैठकों का आयोजन | 30 अप्रैल एवं मई माह |
| 5- | ए०आई०सी०टी०ई० द्वार अनुमोदनपत्र निर्गत होने की अन्तिम तिथि                          | 30 जून               |

कृपया उपरोक्त के अनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा समय सारणी से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

(राम गणेश)  
विशेष सचिव।

२

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्राविधिक शिक्षा विभाग ।
- 3- अध्यक्ष एवं सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय नवाबगंज, कानपुर ।
- 5- अध्यक्ष/सचिव फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली ।
- 6- अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, लखनऊ ।
- 7- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को साधरण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु ।
- 8- निदेशक, आई0ई0आर0टी0, कानपुर ।
- 9- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर ।
- 10- निदेशक आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद ।
- 11- रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश विकासदीप, लखनऊ ।
- 12- डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स कानपुर मंडल, सहारनपुर मंडल, वाराणसी मंडल, फैजाबाद मंडल, बरेली मंडल, इलाहाबाद मंडल, आगरा मंडल, गोरखपुर मंडल एवं आजमगढ़ मंडल ।
- 13- निदेशक, ए0आई0टी0एच0, कानपुर ।
- 14- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 15- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश ।
- 17- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, अनुदानित पालीटेक्निक एवं निजी पालीटेक्निक संस्थाओं को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर के माध्यम से सूचनार्थ ।
- 18- व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1/2/4
- 19- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

/

(रवीन्द्र नाथ सिंह)  
अनुसचिव ।